ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी

01. ग्राम पंचायत का नाम –
02. सम्मिलन ग्राम का नाम –
03. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या –
04. सम्मिलन का दिनांक –
05. सम्मिलन का समय –

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवाही विवरण
01	02
जाति प्रमाण पत्र हेतु ग्रामसभा से सहमते पर नाम पत्र बावत् ।	आज दिनांक ..... को ग्राम ..... में ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया गया । आवेदक ..... पिता ..... द्वारा मिशल अभिलेख उपलब्ध नही होने के कारण अपने ..... .जाति का अनुमोदन किये जाने हेतु ग्राम सभा में विचार हेतु रखा गया । इस पर विचार करते हुये ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया तथा इस बात की पुष्टि की गई कि आवेदक ..... के पूर्वज ..... पिता ..... 1950 के पूर्व से इस ग्राम में निवास करते थे तथा इनकी जाति ..... है । अतः आवेदक के पुत्र/पुत्री ..... की जाति ..... है । ग्रामसभा में उपस्थित उग्रदराज व्यक्ति..... ..... पिता ....ने आवेदक की जाति की पुष्टि की पुष्टि स्वरूप पुष्टिकर्ता के हस्ताक्षर ग्रामसभा में किया गया ।

वंशवृक्ष

प्रारूप एक

जाति एवं मूल निवास की उदघोषणा के संबंध मे आवेदन पत्र

अध्यक्ष..............................
ग्राम सभा.........   ....
ग्राम.........................   ....
तहसील.......   ....
जिला......

महोदय,

निवेदन है कि मेरी जाति तथा दिनांक ....(अनुसूचित जाति के संदर्भ में दिनांक 10–08–1950 अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में दिनांक 06–09–1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में 26–12–1984) की स्थिति में मेरे पूर्वजो के मूल निवास स्थान के संबंध में किसी भी लोक दस्तावेज (पूर्वजो के मिसल अभिलेख /जमाबंदी)(गिरदावरी) बी–1 / स्टेट सेटलमेंट /अधिकार अभिलेख–1954/वन विभाग की जमाबंदी/वन अधिकार पत्र/शैक्षणिक संस्था के दाखिल खारिज पंजी की प्रति/जन्म मृत्यु पंजी/नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर 1949 अथवा निजी दस्तावेजों यथा पिता अथवा पूर्वज अथवा निजु वंश के संबंधी कों पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र या अचल संपत्ति की खरीदी बिकी से संबंधित दस्तावेज आदि में कोई भी विवरण उपलब्ध नही है।

अतः राज्य शासन के निर्देशानुसार मेरी जाति तथा दिनांक .... के पूर्व मेरे/पूवजों के मूल निवास स्थान के संबंध मे ग्रामसभा के माध्यम से उद्घोषणा किए जाने का निवेदन है। मेरे एव मेरे परिवार के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. आवेदक के पिता का नाम ....
3. आवेदक के माता का नाम ....
4. आवेदक के पति/पत्नी का नाम ....
5. आवेदक की संतानों का नाम
   (1)...   ....
   (2)......   ....
   (3).......   ......
   (4)..................................
6. आवेदक के भाई/बहनों का नाम
   (1)......   .....
   (2).........   ......
   (3)..................................
   (4)..................................
   (5)..................................
7. आवेदक के चाचा/बुआ (पिता के सगे भाई/बहनें) का नाम
   (1).....   ....
   (2)....   ....
   (3)..................................
   (4)..................................
   (5)..................................
8. आवेदक की जन्म तिथि ....
9. धर्म (केवल अनुसूचित जाति आवेदक के लिए) ....

नि निवास का मूल पता : मोहल्ला / कमांक..........ग्राम / कस्बा / शहर.... वि.ख.. ....तहसील. ..जिला. ....राज्य......

11. स्थाई पता : मोहल्ला / वार्ड कमांक....... ग्राम / कस्बा / शहर............ वि.ख.. ....तहसील.... ..जिला.. ....राज्य....

12. आवेदक की जन्म तिथि
(क) अनु. जातिकी 10–08–50 तथा अनु जन जाति की
(ख) अन्य पिछाड़ा वर्ग की 26–12–24 के पूर्व की है तो आवेदक का मूल निवास स्थान अथवा उक्त तिथि के बाद है तो उसके पिता / पूर्वज के निवास स्थान का स्थाई पता : मोहल्ला / वार्ड कमांक........ ग्राम / कस्बा / शहर.......... वि.ख..... तहसील........ जिला... राज्य....

13. उक्त तिथि को उपर्युक्त पत्ते पर स्थाई निवास करने वाला परिवार मुखिया : नाम...... संबंध.......................................

14. आवेदक / उसके पिता / पालक / पूर्वज दि. 10–08–1950 (अनु.जन जाति के संदर्भ में) पूर्वज दि. 6–9–1950 (अनु. जाति के संदर्भ में) दि. 26–12–1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में) से अब तक किन–किन स्थानो में रहा है उसका विवरण :...

15. आवेदक की जाति / जनजाति (उपजाति सहित) :...

16. मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अंतर्गत तृतीय अनुसूची / धारा 20 के अंतर्गत चतुर्थ अंनुसूची / पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना दिनांक 26–12–1984 यथा संशोधित 2012 के अध्यधीन इस राज्य / जिले के लिए विनिर्दिष्ट(अधिमान्य) है ? यदि हो तो उसका कमांक

आवेदक की जाति की अलग बोली है तो बोली का नाम

ओवदक के कुल देवी / देवता एवता एवं प्रमुख देवी देवता का नाम

आवेदक की जाति मे बुआ / मामा के लड़के / लड़की के साथ वैवाहित संबंध होता है या नही

आवेदक में जाति मे वधु मूल्य प्रथा / दहेज प्रथा प्रचलित है अथवा नही

आवेदक के परिवार के धर्मिक / सामाजिक कार्यो में नाई पंडित आदि की सहभागिता

अभिलेख नही होने का कारण

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी मेरे विश्वास अनुसार सत्य एवं सही है।

(आवदक के हस्ताक्षर)

न
क

प्रारूप दो

जाति एव मूल निवास के संबंध मे उद्घोषणा

ग्राम.... ... पटवारी ह0 नं0..... .....तहसील. ...जिला.

दिनांक! .को ग्राम सभा की सामान्य/ विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमे
श्री.... .....आ0.... .....की जाति के संबंध में ग्राम सभा के उपस्थित समस्त सदस्यो के
द्वारा दी गई जानकारी एवं सहमति के आधार पर सर्वसम्मति से यह उद्घोषित किया जाता है। कि श्री की जाति
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के तहत..... ..... है।

आज दिनांक.. ....को ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्य अपनी निजी जानकारी
के आधार पर सर्वसम्मति से यह भी उद्घोषित करते है कि दिनांक. से श्री
आ0... ...../उसके पिता/ पूर्वज श्री..... .....आ0 ....इस ग्राम म निवास
कर रहे है।

इस उद्घोषणा के आधार पर श्री.. .....आ0.... ...के परिवार के
सदस्यों (संतान/भई/बहनों) जिनका उल्लेख प्रारूप तीन में किया गया है, के संबंध में भी जाति एवं मूल निवास स्थ
के संबंध में उक्त उद्घोषणा लागू मानी जायेगी।

ग्रामसभा के द्वारा उक्त उद्घोषणा जाति प्रमाण पत्र जारी करने/सत्यापित करने के करने
प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु की जा रही हैं। इस उदघोषणा की सत्यापित प्रतियां ग्राम पंचा
जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में स्थाई अभिलेख के रूप में संधारित की जावेगी।

हस्ताक्षर ग्राम सभा सदस्यगण

(1) अध्यक्ष,ग्रामसभा .....

(2) संरपंच/पंचगण

(3) अन्य सदस्यगण ...

हस्ताक्षर गवाह

(1) ग्राम पंचायत सचिव .....

(2) हल्का पटवारी .....

(3) ग्राम कोटवार

(4) ग्राम मे पदस्थ अन्य ...

शासकीय अधिकारी/

कर्मचारी .....

प्रारूप तीन

जाति एवं मूल निवास के संबंध में ग्राम सभा के द्वारा उद्घोषित ग्राम निवास व्यक्तियों/परिवारों की सूची

ग्राम..... पटवारी ह0 नं0 .तहसील. जिला.

क	परिवार के मुखिया का नाम	क	परिवार सदस्यों के नाम	परिवार के मुखिया से संबंध	जाति	ग्राम में निवास करने की तारीख वर्ष	जाति के संदर्भ में निर्दिष्ट तारीख (Cut off Date) अथवा उसके पूर्व का मुल निवास स्थान (ग्राम, प0ह0,तह0 जिला)
1		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
2		1					
		2					
		3					
		4					
		5					

हस्ताक्षर गवाह

(1) ग्राम पंचायत सचिव .....

(2) हल्का पटवारी .....

(3) ग्राम कोटवार

(4) ग्राम के पदस्थ अन्य :

शासकीय अधिकारी/ .....

कर्मचारी .....

हस्ताक्षर ग्राम सभा सदस्यगण

(1) अध्यक्ष,ग्रामसभा .....

(2) संरपंच/पंचगण .....

(3) अन्य सदस्यगण .....

, एवं मूल निवास के प्रमाणीकरण के संबंध में ग्राम सभा द्वारा अपनायी जाने वाली

ग्राम सभा द्वारा यह संकल्प पारित करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/परिवारों जिनके पास विनिर्दिष्ट तारीख (Cut Off Date) के पूर्व के निवास संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के जाति प्रमाण पत्र(सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र)प्राप्त करने में कठिनाई होती होती है । ऐसे लोगो के जाति प्रमाण पत्र(सामा प्रास्थिति प्रमाण पत्र) बनाने में अभिलेख के रूप में मान्य किये जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख के रूप में प्रमाणीकरण किया जाना है । वि तारीख से आशय अनुसूचित जाति के संबंध में 10-08-1950 अनुसूचित जनजाति के संबंध में 06-09-1950 तथा अन्य पिछ के संबंध में 26-12-1984 है ।

ग्राम पंचायत के अधीन स्थित सभी ग्रामों में यह संकल्प पारित करने हेतु सामान्य रूप से निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जा

ग्राम पचायत के द्वारा ग्राम में सर्वप्रथम विभिन्न माध्यमों से यह प्रचार किया जावेगा कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम में नि अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के परिवारों की पहचान करने का निर्णय लिया गया है जि जाति प्रमाण पत्र (प्रास्थिति प्रमाण पत्र) के संदर्भ में निर्धारित तिथि के पूर्व के अभिलेख नहीं है, अत: वे अपना आवेदन पत्र ग्राम स पास जमा कर दें । ऐसे व्यक्तियों से संलग्न प्रपत्र एक में आवेदन प्राप्त किये जावेगे ।

2- आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ग्राम सचिव द्वारा आवेदक के संबंध में हल्का पटवारी तथा आस-पास की शैक्षणिक संस्थाओं से पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि की जावेगी ।

3- आवेदक के संबंध में विर्निदिष्ट तिथि के पूर्व के कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में ही ग्राम सभा द्वारा संकल्प प पर विचार किया जावेगा । जिनके बारे में अभिलेख उपलब्ध होने की पुष्टि होती है उन पर ग्राम सभा में संकल्प पारित करने पर किया जावेगा ।

4- आवेदकों के संबंध में किसी प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न होने की पुष्टि होने के उपरान्त ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा पत्रों की सूची एवं आवेदन पत्र आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किये जावेगें ।

ग्राम सभा द्वारा आवेदक/आवेदकों की जाति के संबंध में उनके समाज के सामाजिक संस्कार जैसे-मृत्यु संस्कार, गाँव या आ... किसी समुदाय के लोगों से रोटी-बेटी का संबंध है, दहेज प्रथा समाज में वधू मूल्य प्रथा, बोली, परम्परागत व्यवसाय, रि... की जाति जैसे मामा, फूफा, ससुर आदि विशेषताओं को ध्यान में रखकर उद्घोषणा की जावेगी ।

6- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्रों पर भी ग्राम सभा उपरोक्तानुशार रीति से विचार करेगी जो वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में निवा... किन्तु एक लम्बी अवधि (विर्निदिष्ट तिथि के पूर्व) तक ग्रामों में निवासरत थे ।

7- ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार कर सर्वसम्मति से संलग्न प्रारूप-2 अनुसार उद्घोषणा की जीवेगी ।

8- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के ... संकल्प की आवश्यकता होती है । अतः इस संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उन्हें ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से रखा जावेगा ।

9- ग्राम सभा द्वारा पारित ऐसे सभी संकल्पों की एकजाई सूची तैयार की जाकर संकल्प की एक प्रति के साथ मुख्य कार्यपालन ... जनपद पंचायत, तहसील तथा जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित की जावेगी तथा एक प्रति ग्राम पंचायत ... जावेगी । ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा पारित ऐसे सभी संकल्पों की पंजी प्रारूप-3 में संधारित की जावेगी ।

10- यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख होंगे इसलिये इनके सृजन एवं संधारण की प्रक्रिया में पूरी सावधानी रखी जानी

11- ग्राम सभा द्वारा यह कार्य एक वर्ष तक आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में पूरा कर लिया जाए तथा यह सुनिश्चित जाए कि इस आशय से अब ऐसा कोई व्यक्ति/परिवार शेष नहीं है ।